बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना – 800015.

फोन नं0 :– 0612–2217352
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :–ceo_bihar@eci.gov.in

दिनांकः 30 सितम्बर, 2025

प्रेस विज्ञप्ति

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आसन्न बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के संबंध में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक संपन्न

आसन्न बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के वरीय उप निर्वाचन आयुक्त, श्री मनीष गर्ग तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों द्वारा आज दिनांक 30 सितम्बर, 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई।

इस बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी श्री कुंदन कृष्णन, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्मिलित हुए। बैठक में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। आयोग के वरीय पदाधिकारियों ने निर्वाचन की सभी व्यवस्थाओं पर गहन विमर्श किया और चुनाव संचालन से संबंधित सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किए।

इस बैठक में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने अपने–अपने जिलों की इलेक्शन प्रोफ़ाइल, प्रशिक्षण योजना, कानून–व्यवस्था की स्थिति, मतदान केंद्रों की उपलब्धता, वल्नरेबिलिटी मैपिंग, SVEEP गतिविधियाँ, वोटर टर्नआउट का विश्लेषण, एक्शन प्लान, निर्वाचक सूची की तैयारी तथा ईवीएम एवं वीवीपैट की उपलब्धता से संबंधित विषयों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण क्रमवार दिया। बैठक में आगामी चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की सभी व्यवस्थाओं पर विचार–विमर्श किया गया और सभी सहभागी पक्षों की रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। साथ ही, फील्ड स्तर की चुनौतियों के समाधान हेतु व्यावहारिक और नवीन योजनाओं के निर्माण तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई।

चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था संधारण के आलोक में पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिया गया है कि शांतिपूर्ण चुनाव हेतु पर्याप्त सुरक्षा इंतज़ाम किए जाएँ, जिसमें अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी प्रभावी ढंग से सुनिश्चित की जाए। आर्म्स रिकवरी एवं पूर्व के चुनावों में दर्ज मामलों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा भी की गई। इसके अतिरिक्त निगरानी एवं प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की गई, जिनमें Static Surveillance Team एवं Flying Squad के गठन की स्थिति अंतरराज्यीय सीमाओं पर चौकसी तथा चेक पोस्टों पर की गई व्यवस्थाओं की तैयारी की भी समीक्षा की गई। शराब की जब्ती एवं अन्य अवैध गतिविधियों पर की गई कार्रवाई एवं आदर्श आचार संहिता की घोषणा के साथ ही विधि–व्यवस्था बनाए रखने और राजनीतिक दलों द्वारा मांगी जाने वाली अनुमतियों को समय पर उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को समन्वित रूप से कार्य करने का निर्देश दिया गया।

समीक्षा बैठक में पोलिंग स्टेशन प्रबंधन से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें विशेष रूप से PwD मतदान केन्द्र तथा महिला कर्मियों द्वारा संचालित बूथों की तैयारी, शिकायतों के त्वरित निष्पादन की व्यवस्था के लिए शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावी व्यवस्था। बैठक में पोलिंग पार्टी डिस्पैचिंग की स्थिति की भी समीक्षा की गयी।

समीक्षा बैठक में जिला स्तर पर सभी मतदान कर्मियों की प्रशिक्षण व्यवस्था की तैयारी के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दलों की सहभागिता को पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा–निर्देश दिए गए। 85 वर्ष से अधिक आयु वाले तथा (PwD) मतदाताओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए पोस्टल बैलेट के व्यापक प्रचार–प्रसार और इसकी सुलभ उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज को रोकने के लिए प्रभावी मैकेनिज्म बना कर कार्य करने तथा मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन को प्रभावी रुप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिये गये।

भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले छह माह में निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सहभागी बनाने की दिशा में कई पहलें की हैं। इनमें मतदान केंद्रों पर मोबाइल रखने के लिए सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध कराना, ताकि मतदाता मोबाइल साथ लेकर मतदान केंद्र तक जा सकें, राजनीतिक दलों को मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर अपना अनौपचारिक बूथ स्थापित करने की अनुमति देना तथा मतगणना दिवस पर अंतिम परिणाम घोषित करने से पूर्व पोस्टल बैलेट की गिनती सुनिश्चित करना शामिल है। इन सभी नवाचारों को आगामी चुनावों में सुनिश्चित किये जाने का निर्देश बैठक में दिया गया। इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, रैम्प, शौचालय, फर्नीचर और संकेतक जैसी आश्वस्त न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था पूर्ण रूप से सुदृढ़ की जाए।

भारत निर्वाचन आयोग की इस समीक्षा बैठक में चुनाव संचालन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन–2025 को निष्पक्ष, पारदर्शी, सहभागी और सुरक्षित बनाने की दिशा में प्रयास करने के निर्देश किये गये।

****